

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

राज्य राज-शाहपुरा

क्रमांक/सीडर/2024/165/2024

दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 165 / 2024 अजवान नरेंद्रसिंह दत्तक पुत्र कातूसिंह राजपूत निवासी भीम का खेड़ा, श्रवणसिंह पुत्र केशरसिंह राजपूत निवासी भीम का खेड़ा बनाम हरि सिंह पुत्र भेरू सिंह राजपूत निवासी भीम का खेड़ा, नारायण सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत निवासी भीम का खेड़ा, अखराजसिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत निवासी भीम का खेड़ा, रामदेव पुत्र देवी लाल मीणा निवासी खंडेरिया, वन्ना लाल पुत्र देवी लाल मीणा निवासी खंडेरिया, रामदयाल पुत्र देवी लाल मीणा निवासी खंडेरिया, छगनलाल पुत्र देवी लाल मीणा निवासी खंडेरिया, सोजीराम पिता जगन्नाथ मीणा निवासी टोला, महावीर पुत्र भूरा मीणा निवासी तलोदा, ललता पत्नी सोहनलाल मीणा निवासी नाडीया, देउ पत्नी मथुरा मीणा निवासी भीम का खेड़ा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अजवान के प्रकरण में ग्राम भीम का खेड़ा प.ह. बरोदा आराजी सं. 175/1, 177/2, 177/3, 178, 180, 189/90, 190/93, 32, 33, 39, 42, 43, 51/1, 53, 54/1, 55, 56/1, 61, 66/1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81/1, 82, 86 कुल कित्ता 33 रकबा 15.9042 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 5000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 500 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

**फर्द अहकाम**  
(विभाग 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा  
नरैदसिंह दत्तक पुत्र कालूसिंह राजपूत निवासी भीम का खेड़ा वगैरह  
बनाम  
हरि सिंह पुत्र भेरू सिंह राजपूत निवासी भीम का खेड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.  
तारीख हुक्म

मुकदमा नंबर 165/2024

09-04-24

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज  
प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम भीम का खेड़ा प.ह. बरोदा आराजी सं. 175/1, 177/2, 177/3, 178, 180, 189/90, 190/93, 32, 33, 39, 42, 43, 51/1, 53, 54/1, 55, 56/1, 61, 66/1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81/1, 82, 86 कुल कित्ता 33 रकबा 15.9042 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।  
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है, ग्राम भीम का खेड़ा प.ह. बरोदा आराजी सं. 175/1, 177/2, 177/3, 178, 180, 189/90, 190/93, 32, 33, 39, 42, 43, 51/1, 53, 54/1, 55, 56/1, 61, 66/1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81/1, 82, 86 कुल कित्ता 33 रकबा 15.9042 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 5000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 500 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी**  
**जहाजपुर (शाहपुरा)**